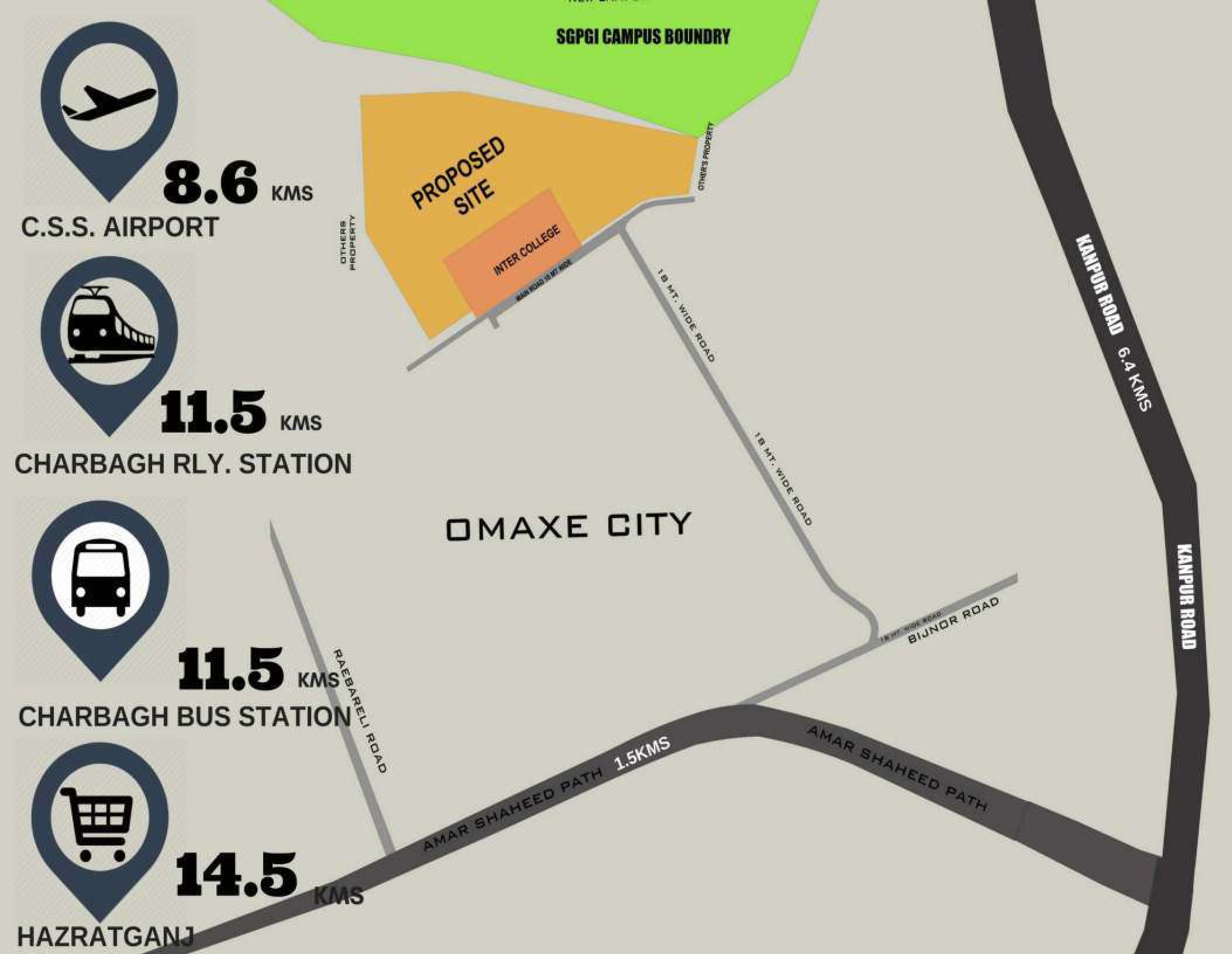
SGPGI CAMPUS BOUNDRY
PROPOSED SITE
INTER COLLEGE
OTHERS PROPERTY
OTHER'S PROPERTY
18 MT. WIDE ROAD
KANPUR ROAD
6.4 KMS
OMAXE CITY
18 MT. WIDE ROAD
BIJNOR ROAD
RAEBARELI ROAD
AMAR SHAHEED PATH
1.5KMS
AMAR SHAHEED PATH
KANPUR ROAD
8.6 KMS
C.S.S. AIRPORT
11.5 KMS
CHARBAGH RLY. STATION
11.5 KMS
CHARBAGH BUS STATION
14.5 KMS
HAZRATGANJ

(नगर निगम की बहु मंजिलीय आवास योजना)
अहाना एन्क्लेव
(सूरज की पहली किरण)
औरंगाबाद खालसा, ओमेक्स सिटी के समीप, शहीदपथ, लखनऊ

PARK
LANDSCAPE AREA
PARK
HIG
(G+8)
PARK
PARK
EWS (G+3)
GATE(2)
MIG (G+6)
LIG (G+6)
EXCELLIA SCHOOL
SHOPS
HIG
(G+3)
OMAXE CITY
GATE(1)
COMMUNITY
CENTER
PARKING

लखनऊ नगर निगम की अहाना एन्क्लेव बहुमंजिला आवासीय योजना, औरंगाबाद खालसा

प्रमुख आकर्षण

- ❖ आकर्षक लैण्डस्केप, पार्क एवं हरित क्षेत्र सहित 5.7 हेक्टेयर का वृहद बहुमंजिला आवासीय परिसर।
- ❖ भूकम्परोधी आर0सी0सी0 फ्रेम्ड संरचना के नौ मंजिला, सात मंजिला व चार मंजिला टावर।
- ❖ भव्य मुख्य द्वार के साथ सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तर, पूर्व, पश्चिम की ओर पूर्णतः बाउण्ड्रीवाल एवं दक्षिण में एस0जी0पी0जी0आई0 की बाउण्ड्रीवाल से घिरा हुआ परिसर।
- ❖ 3बी0एच0के फ्लैट के तीन व नौ मंजिला टावरों में चर्तुदिक प्राकृतिक प्रकाश व वायु संचरणयुक्त प्रत्येक तल पर मात्र चार फ्लैट के संकुल।
- ❖ पर्यावरण अनुकूल जीरो डिस्चार्ज, सुव्यवस्थित विद्युत आपूर्ति, पेयजलापूर्ति, सीवर प्रणाली, वर्षा जल निकासी व वर्षा जल संग्रहण, एल0ई0डी0 प्रकाश व्यवस्था, हरित एस0टी0पी0 सेवाओं से युक्त हरित परिसर।
- ❖ आर0सी0सी0 के 15 मीटर के मुख्य मार्ग, 9 मीटर के अन्य मार्ग एवं 6 मीटर के आन्तरिक मार्ग।
- ❖ विद्युत सुरक्षा व अग्नि सुरक्षा प्रमाणित परिसर।
- ❖ समस्त सामान्य सुविधाओं व सेवाओं हेतु पूर्ण विद्युत बैक–अप।
- ❖ पूर्णतः भूमिगत दो–मंजिला व एक–मंजिला समर्पित 800 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधायें।
- ❖ कम्यूनिटी सेन्टर, परिसर में शॉपिंग सुविधायें।
- ❖ वास्तविक निर्माण कार्य प्रगति पर।

विशेष आकर्षण

- ❖ लखनऊ एयरपोर्ट निकट कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग व शहीदपथ होकर।
- ❖ चारबाग रेलवे स्टेशन से लगभग 11.5 किमी0 की दूरी पर कैन्ट, जेल रोड, वी.आई.पी. मार्ग, बिजनौर रोड, शहीदपथ होकर।
- ❖ अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रमाबाई अम्बेडकर जन परिसर, ओमेक्स, साउथ सिटी, एल्डीको उद्यान द्वितीय आवासीय योजनाओं के समीप।
- ❖ एक किमी0 की परिधि में चार सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 स्कूल परिसर।
- ❖ उत्तर प्रदेश के एम्स समतुल्य एस0जी0पी0जी0आई0 की बाउण्ड्रीवाल के साथ विकसित आवासीय परिसर, एस0जी0पी0जी0आई0 गेट से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर।
- ❖ 1.5 किमी0 की परिधि में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अभियान्त्रिकी व चिकित्सा महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय आदि।

लखनऊ नगर निगम का आवासीय सुविधाओं के विकास को पुनः गतिमान करते हुए अहाना एन्क्लेव बहुमंजिला आवासीय व व्यवसायिक योजना

1. लखनऊ नगर निगम नगरीय विकास सम्बन्धी कार्यकलापों एवं आवासीय योजनाओं के शीघ्र तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समर्पित व संकल्पित है।
2. समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास।
3. भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा कास्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए एवं स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करते हुए निर्माण करना।

लखनऊ नगर निगम सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं यथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था, विद्युत–आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है।

योजना में सम्पत्ति के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

1. आवासीय फ्लैट्स विवरणिका

क0सं0	फ्लैट का प्रकार	फ्लैट्स की कुल संख्या	सुपर क्षेत्रफल (वर्गमी.)	विशिष्ट प्राविधान
1.	एच0आई0जी0 जी+3	48	153.73	1 लिविंग रूम, डायनिंग रूम, 3 बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, 3 टायलेट, 4 बालकनी, 1 किचेन, टायलेट युक्त सर्वेन्ट रूम
2	एच0आई0जी0 जी+8	324	153.73	1 लिविंग रूम, डायनिंग रूम, 3 बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, 3 टायलेट, 4 बालकनी, 1 किचेन, टायलेट युक्त सर्वेन्ट रूम
3	एम0आई0जी0 –1 जी+6	112	91.26	1 लिविंग रूम, डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, 2 टायलेट, 1 बालकनी, 1 किचेन।
4	एम0आई0जी0 –2 जी+6	168	74.14	1 लिविंग रूम, डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, 2 टायलेट, 1 बालकनी, 1 किचेन।
5	ई0डब्लू0एस0– जी+3	32	44.06	ड्रांइग रूम, 1 बेडरूम, एकल दो टायलेट यूनिट, 1 बालकनी, 1 किचेन।

2. पंजीकरण विवरणिका :–

क्र0सं0	फ्लैट का प्रकार	फ्लैट्स संख्या	सुपर क्षेत्रफल (वर्गमी.)	प्रस्तावित विक्रय मूल्य (लाख में)	पंजीकरण धनराशि (लाख में)	मांग पत्र निर्गत करने के 1 माह के अन्दर देय धनराशि (रू0 लाख में)	अवशेष भुगतान धनराशि तिमाही 9 किश्तो में (रू0 लाख में)
1	एच0आई0जी0 जी+3 के 3 टावर	48	153.73	69.50	3.50	14.00	52.00
2	एच0आई0जी0 जी+8 के 9 टावर	324	153.73	69.50	3.50	14.00	52.00
3	एम0आई0जी0 –1 जी+6 के 2 टावर	112	91.26	41.10	2.00	8.25	30.85
4	एम0आई0जी0 –2 जी+6 के 3 टावर	168	74.19	33.50	1.60	6.70	25.20
5	ई0डब्लू0एस0–जी+3	32	44.06	20.00	1.00	4.00	15.00
6.	दुकानों का निर्माण	24	36.00	32.50	1.60	6.50	24.40

3. फ्लैट्स की निर्माण विशिष्टियाँ :–

स्ट्रक्चरल संरचना भूकम्परोधी मोनोलिथिक आर.सी.सी. फ्रेम्ड संरचना पर फ्लैट्स का निर्माण।

फर्श बेडरूम/ड्राइंग/डाइनिंग में विट्रीफाइड टाइल, कामन क्षेत्र में एण्टी स्क्रैच हेवी डयूटी टाइल्स।

किचेन कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट स्टोन प्लेटफार्म के ऊपर दो फीट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल, स्टेनलेस स्टील का सिंक।

ट्वायलेट फर्श की ऐन्टी स्किड एवं दीवालों पर सेरेमिक टाइल्स, ट्वायलेट में इण्डियन व अन्य में यूरोपियन सीट, सिस्टर्न व एक–एक वाशबेसिन, क्रोम प्लेटेड सेनेटरी फिटिंग्स।

दरवाजे मुख्य दरवाजा लेमिनेटेड फ्लश डोर शटर व अन्य दरवाजे कामर्शियल फ्लश डोर शटर्स।

चौखट मुख्य व आउटर डोर सालवुड डबल पताम व अन्य साल उड चौखट तथा सभी खिड़कियां यू.पी.वी.सी. का 3 चैनल स्लाइडिंग शटर।

खिड़कियाँ 3 चैनल यू.पी.वी.सी. स्लाइडिंग ग्लास शटर।

रंग रोगन आन्तरिक दीवालों व छत, पर पी.ओ.पी. सहित ऑयल बाउण्ड डिस्टैम्पर तथा बाहरी सतह पर वेदर प्रूफ इमल्शन फिनिशिंग, मुख्य दरवाजा स्प्रिट पालिश, आन्तरिक सभी दरवाजे चौखट व खिड़कियां इनेमल पेंट साहित।

जलापूर्ति सभी फ्लैट हेतु छत पर आर.सी.सी. का संयुक्त टैंक/पी.पी.आर./सी.पी.वी.सी. पाइप द्वारा जलापूर्ति।

विद्युत अग्निरोधक पी.वी.सी. कापर कन्सील्ड वायरिंग एवं पावर व ए.सी. प्वाइन्ट एवं कामन एरिया हेतु जनरेटर द्वारा पावर बैक अप का प्राविधान।

स्टेयर केस ग्रेनाइट स्टोन, कोटा स्टोन, एस.एस. पाइप रेलिंग।

लिफ्ट प्रत्येक ब्लाक में एक पैसेन्सर लिफ्ट एवं एक फ्रेट लिफ्ट का प्राविधान।

डोर/विन्डो फिटिंग स्टेनलेस स्टील फिटिंग्स।

अन्य प्रवेश द्वार पर नाइट लैच एवं मैजिक आई का प्राविधान।

प्रवेश द्वार में मोर्टिस लाक का प्राविधान।

केबिल/डिश टी.वी. नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान।

4. पंजीकरण के नियम

4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन–पत्र त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य न हो जाये।

4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

4.3 पंजीकरण एकल नाम से ही किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति–पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत आवेदक के साथ किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.4 पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले यदि कोई आवेदक पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए पंजीकरण की जमा धनराशि वापस की जायेगी। निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।

4.5 यदि कोई पात्र चयनित हो जाता है तो मांग पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की स्थिति में पंजीकरण धनराशि में 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि देय जी.एस.टी. काटकर बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। तीन माह की अवधि के पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।

4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाने की स्थिति में आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज की दर पर वापस कर दी जायेगी।

4.7 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को नगर निगम फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगा और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाते हैं तो आवेदक इसके लिए लखनऊ नगर निगम से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

4.8 अंकित मूल्य अनुमानित है। अहाना एन्क्लेव आवासीय योजना का निर्माण 24 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा, जिसके अनुसार नियत किश्तों की धनराशि घट–बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में अपरिहार्य जैसे–भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।

4.9 भवनों की टाइप डिजाइन व ले–आउट में आवश्यकतानुसार सूक्ष्म परिवर्तन किया जा सकता है।

4.10 भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल के आवंटियों से लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का 01 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य लिया जाना प्रस्तावित है।

4.11 परियोजना में प्रस्तावित फ्लैट्स हेतु समर्पित भूमिगत कवर्ड लिफ्ट सुविधायुक्त कार पार्किंग का प्राविधान किया गया है। पार्किंग के इच्छुक आवंटी को भूमिगत कार पार्किंग हेतु रू. 2.00 लाख का भुगतान करना होगा। यह धनराशि प्रत्येक दशा में विक्रय विलेख निष्पादन एवं पंजीयन के पूर्व आवंटी को भुगतान करनी होगी। फ्लैट्स के विक्रय मूल्य पर नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा।

4.12 आवासीय परियोजना परिसर का रखरखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है उसके उपरान्त "रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

4.13 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कार्पस फण्ड" में निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि 2BHK हेतु रू. 1.00 लाख देय होगी एवं 3 BHK हेतु रू. 1.50 लाख देय होगी। योजना में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद सामान्य कब्जा का मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि हस्तगत कर दी जायेगी। तत्पश्चात सोसायटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रखरखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रति माह आवंटी को देना होगा।

4.14 सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट, जनरेटर, मार्ग प्रकाश, सीवर, सेक्योरिटी गार्ड, जलापूर्ति, सामुदायिक केन्द्र, सफाई, विद्युत आदि के संचालन व अनुरक्षण हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को कब्जा प्राप्ति की तिथि से दो वर्ष तक रू. 25.00 प्रति वर्ग मीटर (सुपर एरिया) की दर से रखरखाव शुल्क अतिरिक्त देना होगा।

4.15 नगर निगम के यूजर चार्जेस के रूप में स्वच्छता व अन्य प्रभावी शुल्क प्रत्येक आंवटी द्वारा पृथक से देय होगें।

4.16 परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में एक मल्टीपरपज हाल/कम्यूनिटी सेन्टर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।

4.17 फ्लैट के विक्रय मूल्य में विद्युत मीटर की लागत सम्मिलित है।

4.18 पूर्व में परियोजना हेतु किए गये आवेदन जो अभी तक लम्बित हैं वे भी इस बार पंजीकरण हेतु मान्य होंगे।

5. पंजीकरण हेतु पात्रता

5.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

5.2 आवेदक की आयु, आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

1 BHK UNIT

ISOMETRIC VIEW

UNIT AREA - 33.80 SQ. MT.
SUPER AREA - 44.06 SQ.MT.
CARPET AREA - 27.82 SQ.MT.

CLUSTER PLAN

UNIT PLAN

2 BHK UNIT (TYPE A)

ISOMETRIC VIEW

UNIT AREA - 64.22 SQ. MT.
SUPER AREA - 91.26 SQ.MT.
CARPET AREA - 54.53 SQ.MT.
BALCONY AREA - 9.60 SQ.MT.

CLUSTER PLAN

UNIT PLAN

2 BHK UNIT (TYPE B)

ISOMETRIC VIEW

UNIT AREA - 56.85 SQ. MT.
SUPER AREA - 74.14 SQ.MT.
CARPET AREA - 50.30 SQ.MT.
BALCONY AREA - 2.97 SQ.MT.

CLUSTER PLAN

UNIT PLAN

ISOMETRIC VIEW

UNIT AREA - 128.90 SQ. MT.
SUPER AREA - 153.73 SQ.MT.
CARPET AREA - 108.40 SQ.MT.
BALCONY AREA - 14.00 SQ.MT.

3 BHK WITH SERVANT QUARTER

CLUSTER PLAN

UNIT PLAN

6. आरक्षण विवरण

क्र0स0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	———————तदैव——————————
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	———————तदैव——————————
4	मा0 विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर निगम व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंन्शन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू.एस. डालर, पौण्ड, स्टलिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस, फ्रेंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तन कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नगद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन–पत्र के पंजीकरण से जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

नोटः– उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजोन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

6.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है, तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण की स्थिति में अथवा प्रमाण–पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगीं

6.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे।

7. आवंटन विवरण

7.1 नगर निगम आंवटन नियमावली/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा पंजीकृत आवेदकों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

7.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट् की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के लखनऊ नगर निगम द्वारा नियमानुसार बैंक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

7.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पचियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैटस की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।

7.4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।

7.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ही तल पर साथ–साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

7.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैटस का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध लखनऊ नगर निगम द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख–निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

7.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची लखनऊ नगर निगम वेबसाइट http://lmc.up.nic.in पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण कार्यालय से सम्पर्क कर के किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि वापसी विवरण

8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते में वापस कर दी जायेगी।

9. भुगतान विवरण

9.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 12 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्रफ्ट/बैकर्स चैक के माध्यम से स्वीकार होगा। किस्तों की धनराशि पर 8.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

9.2 यदि मांग पत्र में दर्शायें गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, नगर निगम की नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

9.3 यदि 9.2 के अनुसार धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी लखनऊ नगर निगम के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।

9.4 लखनऊ नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर,जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

9.5 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तो की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक ''नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम'' जो लखनऊ शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए। मांग–पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

9.6 चयनित आवेदन को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

9.7 पंजीकरण धनराशि का भुगतान ICICI बैंक खाता संख्या 125901000427 ब्रांच तेलीबाग – IFSC कोड ICIC0001259 में जमा किया जाना होगा।

9.8 आवंटन धनराशि का भुगतान ICICI बैंक खाता संख्या 125901000426 ब्रांच तेलीबाग – IFSC कोड ICIC0001259 में किया जाएगा।

10. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा विवरणः

10.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 24 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

10.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट्स का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित लखनऊ नगर निगम खातें में भुगतान फ्लैट्स के पंजीयन/सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

10.3 लखनऊ नगर निगम द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट्स का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0–50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर लखनऊ नगर निगम को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. तथ्यों का छिपाना

11.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लखनऊ नगर निगम में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

12. महत्वपूर्ण सूचनायें व विशेष शर्तें

12.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं हो। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय–विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/लखनऊ नगर निगम के नियम, आदेश व निर्णय प्रभावी होगें।

12.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।

12.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/फ्लैट परिवर्तन करने हेतु लखनऊ नगर निगम के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।

12.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होगें।

12.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व लखनऊ नगर निगम के प्राविधान प्रभावी होगें।

12.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि लखनऊ नगर निगम द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

12.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

12.8 फ्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है।

12.9 जी.एस.टी. नियमानुसार आवंटी को अतिरिक्त देय होगा।

अहाना एन्क्लेव बहुमंजिला आवासीय एवं व्यवसायिक योजना की पंजीकरण पुस्तिका को आवेदन पत्र सहित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की लखनऊ की किसी भी शाखा में प्राप्त किया जा सकता है।

पंजीकरण/आवंटन संबंधी पूछताछ के लिए निम्न नम्बरों पर संपर्क किया जा सकता है।

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, तेलीबाग, लखनऊ
मो.नं.: 9004495278, 7042291511

ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

1. आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बॉल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
2. आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
3. अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित हैं कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ।
5. आवेदन को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
6. एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
7. नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जाये।
8. आवेदन पत्र में बिन्दु–6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें।
9. सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण में निम्नांकित में से किसी एक को भरना होगा:–

क0स0	फ्लैट का प्रकार	फ्लैट्स की कुल संख्या	कोड
1	एच0आई0जी0 जी+3	48	HIGA
2	एच0आई0जी0 जी+8	324	HIGB
3	एम0आई0जी0–1 – जी+6	112	MIG-1
4	एम0आई0जी0–2 – जी+6	168	MIG-2
5	ई0डब्लू0एस0– जी+3	32	EWS

10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजोन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ–जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होगें:–

आवेदक का परिवार:–

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय:–

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

सम्पत्ति :–

सम्पत्ति का तात्पर्य फ्लैट से है।

विदेशी मुद्रा :–

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टलिंग पौंड, यू0एस0, डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रेक और दीनार आदि से है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य:–

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:–

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :–

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :–

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर निगम व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :–

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

योजना के क्रियान्वयन, आवंटन एवं धनराशि वापसी से सम्बन्धित जानकारी हेतु लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

इं. एस.एफ.ए. जैदी
परियोजना प्रबन्धक,
लखनऊ नगर निगम
मो.:6389300062

इं. महेश चन्द्र वर्मा
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ नगर निगम
मो.: 6391206364

लखनऊ नगर निगम की प्रस्तावित अहाना एन्क्लेव बहुमंजिला आवासीय व व्यवसायिक योजना के फ्लैट्स के आन–लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

लखनऊ नगर निगम की प्रस्तावित औरंगाबाद खालसा बहुमंजिला आवासीय व व्यवसायिक योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन–लाइन पंजीकरण (Online Registration) में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :–

ऑन–लाइन पंजीकरण (Registration Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन–लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम लखनऊ नगर निगम की वेबसाइट **http://lmc.up.nic.in** पर जाकर मुख्य पृष्ठ (**Homepage**) के लिंक Online Registration for Flats/Houses पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात् खुलने वाले वेब–पेज के लिंक Ahana Enclave Multistoried Residential and Commercial Scheme, पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबन्धित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियां भली–भांति पढ़कर Apply Online लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात् उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियां (Basic Informations) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, आधार नम्बर, पैन नम्बर, निवास–पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार एवं आरक्षण श्रेणी विवरण आन–लाईन फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन–लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरीण, यूजर आई0डी0 / पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की **ई–रसीद** (e-receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जायेगा।

<u>पंजीकरण धनराशि का भुगतान :–</u>

- उपरोक्तानुसार आन–लाइन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट–आउट में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात् निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेंगी:–

  Visit website http://lmc.up.nic.in & click on link "Online Registration of flats".

  - ▲ Click on link "Registration Fee Payments"of concerning scheme's webpage.
  - ▲ Provide Registration ID & select payment mode, then click on 'Submit'button.
  - ▲ Please verify the Registration details and click on 'Confirm' button.
  - ▲ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as Netbanking/Debit/Credit Card.
  - ▲ If applicant selected 'e-challan' payment mode, then 'e-challan' will be generaged.
  - ▲ Take the prinout of 'e-challan' and pay registration fee on next working day (after 12 PM) in the designated bank branch.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

  (नोट–डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक ''नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम'' के पक्ष में देय होना चाहिए।)

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियां दर्ज / अपलोड की जायेगी।
- आन–लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (फोटो आई0डी0 प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति / आरक्षण प्रमाण–पत्र, नोटरी घोषणा–पत्र, ई–चालान की प्रति आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेगें:–

अजय कुमार द्विवेदी
नगर आयुक्त,
लखनऊ नगर निगम,
लालबाग, टी.एन. मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

रू0-10.0 के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)
समक्ष लखनऊ नगर निगम
शपथ- पत्र

मै श्री / श्रीमती / कुमारी.. उम्र........ वर्ष......... पुत्र / पुत्री / पत्नी ....निवासी ....
मै भारत का नागरिक शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ:-

01. मै एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमो, शर्तो, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मै इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।

02. लखनऊ नगर में मेरा अथवा मेरे पति / पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नही है। यदि आंवटन के पूर्व किसी सदस्य द्वारा भूखण्ड / भवन आंवटित हो जाता है या क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मै तुरन्त नगर निगम मुख्यालय को दूँगा / दूँगी।

3. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नही है।

4. मै शपथपूवर्क बयान करता / करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष .... मै (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करे) समस्त श्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रू0-............) थी।

5. मै एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि धारा 1 से 4 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण दिया गया है, तो नगर निगम को मेरे विरूद्वजो उपयुक्त समझें, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

घोषणा

मै एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 5 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नही गया है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर